



**सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय**  
**OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS**  
**सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE , कोचिन COCHIN- 682009**

*Willingdon Island, Kochi – 682 009*  
*Tel: 0484-2668068/2668390. PBX:0484-2666861 to 6864. Fax: 0484-2668468.*

**परिपत्र CIRCULAR. No. 88 / 2015-16**

**विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति – दिनांक 25.01.2016 को आयोजित सातवीं बैठक का कार्यवृत्त – संबंधित**

**Sub: Customs Clearance Facilitation Committee–Minutes of the 7<sup>th</sup> meeting held on 25.01.2016—Reg.**

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की सातवीं बैठक दिनांक 25.01.2016 को दोपहर 3:00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 7<sup>th</sup> meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3.00 PM on 25.01.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती  
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt:

1. S. Srimathi, Dy. Commissioner
2. B. Umadevi, Asst. Commissioner
3. Sanjay Bangartale, Asst. Commissioner
4. Jimmi Joseph, Asst. Commissioner
5. Debashish Paul, Asst. Commissioner
6. Jathin K A, Asst. Commissioner
7. Mohammed Rafiq, Asst. Commissioner
8. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
9. Prasanth K C S., Superintendent of Customs
10. Vikas E, Superintendent of Customs
11. Maya Kurien, Superintendent of Customs

सीमाशुल्क निकासी से संबंधित विभागों/एजेंसियों/पणधारियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित सदस्यों द्वारा किया गया:

The departments/ agencies/ stake holders who are involved with customs clearance were represented by S/Shri:

1. Dr. C Unnikrishnan, Cochin Port Trust
2. Dr. Jestu George, FSSAI, Cochin
3. K T Jayarajan, Textile Committee.
4. R. Sekar, Container Corporation of India Ltd, Cochin.

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया तथा उसके बाद नए मुद्दे उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting and minutes of last meeting were taken up for discussion and there after fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई

Action on points covered in the minutes of the previous meeting

बिंदु.सं.1 एफएसएसएआई निकासी से संबंधित मामले (गत बैठक में पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई में बिंदु 2 के तहत उठाया गया मामला)

Pt.No:1. Issues related to FSSAI clearance ( Pt. 2 in Action on minutes of the last meeting- taken up in the previous meeting. )

*अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसएआई द्वारा कोच्चि में और अधिक प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने के संबंध में हुई प्रगति के बारे में पूछा।*

*The Chair enquired about the progress in accreditation of more laboratories by FSSAI in Kochi.*

एफएसएसएआई अधिकारी ने बताया कि एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्रदान करने संबंधी सभी आवेदनों को निदेशक (क्यू एवं ए), एफएसएसएआई के साथ केंद्रीकृत रूप से उठाया जाना है। क्षेत्रीय संस्थानों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जहां तक एफएसएसएआई निकासी का संबंध है, दिसंबर में स्थिति में सुधार हुआ है इस दौरान संस्थान को निकासी के लिए औसतन 3 दिनों से कम समय लगा। यह अवधि प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण प्रक्रिया पूरा करने के लिए निर्धारित 5 दिनों की अनुमोदित समय सीमा से काफी कम है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल फलों के प्रेषित माल की निकासी में पहले से कम समय लग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्वीकार करने की प्रतिशत भी बहुत कम है।

The FSSAI official stated that, all requests for accreditation by FSSAI has to be taken up centrally with the Director (Q & A), FSSAI. The field formations do not have any role to play in that. As far as FSSAI clearance in concerned, the situation has improved in December with average time taken by the organization for clearance being less than 3 days. This is well within the 5 days' approved time frame for labs to complete the testing process. He also stated that consignments of fruits are currently taking much less time for clearance. He added that, the rejection percentage is very low.

बिंदु.सं.2 मशीनरियों को ढकने वाले लकड़ी के तख्तों को ट्रीट नहीं किए जाने के संबंध में (गत बैठक में चर्चा के नए मुद्दों में बिंदु 2 के तहत उठाया गया मामला)

Pt.No: 2. On wooden planks enclosing machinery not being treated. ( Pt.2 in Fresh points taken up for discussion in the previous meeting.)

अध्यक्ष महोदय के पूछे जाने पर सहायक आयुक्त (डॉक्स) ने सूचित किया कि सीमाशुल्क विभाग के सभी फील्ड फोर्मेशनों को निदेश दिए गए हैं कि अगर जांच के दौरान ऐसा कोई मामला सामने आता है तो वे इसकी सूचना संयंत्र संगरोधक प्राधिकारियों को दें।

On enquiry by the Chair, Asst. Commissioner (Docks) informed that all the field formations of Customs have been instructed to inform Plant Quarantine authorities if they come across such cases during examination.

बिंदु.सं.3 एफएसएसएआई निकासी के लिए लंबित मामले (गत बैठक में चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दों में बिंदु 3 के तहत उठाया गया मामला)

Pt.No:3. Cases pending for FSSAI clearance (Pt.3 in Fresh points taken up for discussion in the previous meeting.)

*अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसएआई निकासी के लिए लंबित प्रेषित माल के बारे में पूछा।*

*The chair queried on the consignments that are pending for FSSAI clearance.*

एफएसएसएआई अधिकारीने सूचित किया कि 'प्राकृतिक कोको पाउडर' के मामले में कन्साइन्मेंट की जांच के दौरान यह पाया गया कि उसमें प्राकृतिक उत्पादों के साथ क्षारीकृत उत्पाद भी शामिल हैं। लेकिन आयातक ने केवल एक मद की निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। क्योंकि दूसरी मद की घोषणा एफएसएसएआई से नहीं की गई थी, इसलिए पार्टी को निदेश दिया गया कि बैक-एंड सुधारों के बाद एफएसएसएआई निकासी के लिए नए सिरे से आवेदन करें। 'ड्राई ईस्ट' से संबंधित लंबित आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

The FSSAI official informed that in the case of 'Natural Cocoa Powder', the consignment on inspection was found to contain natural as well as alkalized products. But the importer applied online for clearance of only one time. As the second item, was not declared to FSSAI, the party was directed to apply afresh for FSSAI clearance after making necessary back-end corrections. The pending application pertaining to 'Dry Yeast' has been rejected.

*अध्यक्ष महोदय ने 'वनिला पाउडर' वयनाड सोशल सर्विस सोसाइटी का पुनः-आयात मामला, की निकासी की स्थिति के बारे में पूछा।*

*The Chair queried on the status of clearance of 'Vanilla Powder – a re-import case of Wynad Social Service Society.*

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि पार्टी ने मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और कन्साइन्मेंट लेबल लगाने संबंधी अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं करता है। इसलिए उक्त मामले को अस्वीकृत किया गया।

The FSSAI official informed that the party has not furnished the original registration certificate and the consignment doesn't meet labeling requirements. Hence the same was rejected.

बिंदु सं :4 - आदलती आदेश के आधार पर कन्साइन्मेंटों को रिलीज करने की सूचना देना (गत बैठक में चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दों में बिंदु 4 के तहत उठाया गया मामला)

Pt. No: 4 - Communication of release of consignments on the basis of court order ( Pt.4 in Fresh points taken up for discussion in the previous meeting.)

एफएसएसएआई अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि आयातक अदालती आदेश के आधार पर कन्साइन्मेंटों की निकासी के लिए केवल सीमाशुल्क से संपर्क करता है क्योंकि अदालत रिलीज करने का आदेश केवल सीमाशुल्क को देती है। उन्होंने सीमाशुल्क से अनुरोध किया कि ऐसे रिलीज किए गए सभी मामलों के संबंध में सूचना उन्हें भी दी जाए ताकि उनके आंकड़े अद्यतन किए जा सकें।

The FSSAI official informed the Chair that the Importer approaches only Customs for clearance consignments based on Court Orders as the Court directs Customs for release. He requested Customs to pass on data w.r.t. all such releases so that their data base can be updated.

*अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आदेश की प्रति उन्हें भी भेजने के लिए व्यवस्था की जाएगी।*

*The chair said that arrangements shall be made to forward a copy of the order to them.*

एफएसएसएआई अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि सुपारी के आयात के बारे में अदालती आदेश हैं और इसके अनुसार एफएसएसएआई ने अफ्लाटोक्सिन मात्रा की सीमा को 30% से संशोधित कर 15% कर दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एफएसएसएआई निकासी के लिए आवेदन करने वाली तारीख के अनुसार नियम लागू होंगे न कि आगम पत्र भरने की तारीख के अनुसार।

The FSSAI official informed the Chair that Court orders were on matters concerning betel nut imports and FSSAI has amended the permissible limit of Aflatoxin content from 30% to 15%. Also he clarified that the regulations applicable will be as on date of applying for FSSAI clearance and not the date of filing of Bill of Entry.

उन्होंने यह भी सूचित किया कि संशोधित नियम लागू हो गए हैं और वर्तमान नियमों के अनुसार एन.ए.सी.एच.ए. अनुमोदन, मूल देश से प्रयोगशाला विश्लेषण का प्रमाणपत्र जैसे अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक हैं।

He also informed that the amended rules are operational and the present rules demand more documents like NACHA authorization, certificate of lab analysis from the parent country etc.

*अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि क्या एफएसएसएआई निकासी के लिए मूल देश से परीक्षण रिपोर्ट स्वीकार करेगी।*

*The chair queried whether FSSAI will be accepting the test report from parent country for clearance.*

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि प्रयोगशालाओं के लिए विश्लेषण की सीमा तय करने के लिए परीक्षण रिपोर्ट सहायक होगी।

The FSSAI official informed that the test report will be helpful in setting the range of analysis for the labs.

आयात अस्वीकृत कन्साइन्मेंटों के बारे में एफएसएसएआई के प्रावधानों के बारे में श्रीमती श्रीमती, उप आयुक्त (आयात) के प्रश्न के संबंध में उन्होंने कहा कि लेबल लगाने में दी गई छूट को छोड़ कर आयात अस्वीकृत को साधारण आयात कन्साइन्मेंटों के समान ही माना जाता है।

On a query by Mrs. Srimathi, Dy. Commissioner (Import) on FSSAI provisions for export reject consignments, he stated that export rejects are treated in par with normal import consignments except that relaxations are given in labeling conditions.

### उठाए गए नए मुद्दे

#### Fresh Points taken up

##### बिंदु सं.5 कोचिन में वस्त्र समिति कार्यालय की स्थापना करना

##### Pt. No:5. Setting up of Textile Committee office at Cochin

वस्त्र समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री के.टी. जयराजन ने सूचित किया कि वे सी.आई. सी.एफ.एस., कलमशेरी के परिसर में एक कार्यालय स्थापित कर रहे हैं।

Sri. K T Jayarajan, representing Textiles Committee informed that they are setting up an office in the premises of CI CFS, Kalamassery.

*अध्यक्ष महोदय ने वत्र समिति से अनुरोध किया कि वे इसके उद्घाटन को व्यापक प्रचार दें ताकि व्यापार जगत को इस सुविधा का पता लगे।*

*The Chair requested Textiles Committee to inaugurate the same with vide publicity to bring in awareness of the facility to the trade.*

##### बिंदु सं. 6 पोर्ट परिसर में मलबार सिमेंट प्लांट का उद्घाटन

##### Pt. No:6. Inauguration of Malabar Cements plant at Port premises

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉ. उष्णिक्कृष्णन ने सूचित किया कि मलबार सिमेंट सिमेंट प्रोसेसिंग एवं पैकिंग के लिए एक नए टर्मिनल का उद्घाटन कर रहा है। उनके द्वारा उत्पादन के लिए क्लिंकरों के आयात करने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया के लिए रेल संपर्क की भी योजना है।

Dr. Unnikrishnan, representing Cochin Port Trust informed that Malabar Cements is inaugurating a new Terminal for cement processing / packing. They are expected to import clinkers for the manufacture. A rail connectivity is also planned for the operation.

*अध्यक्ष महोदय ने इस पहल का स्वागत किया।*

*The Chair welcomed the initiative.*

##### बिंदु सं. 7 कोयम्बटूर से कंटेनर रेल सेवा की शुरुआत

##### Pt.No: 7. Introduction of Container Rail service from Coimbatore

भारतीय कंटेनर निगम के प्रतिनिधि श्री आर. शेखर ने सूचित किया कि कोयम्बटूर से शनिवार एक्सप्रेस कंटेनर रेल सेवा शुरू की जा रही है, ताकि सोमवार को मेनलाइन जहाज सेवा से इसे जोड़ा जा सके।

Sri. R Sekhar, representing Container Corporation of India informed that a Saturday Express Container Rail service from Coimbatore is being introduced, to connect the Mainline vessel service on Monday.

*सभी उपस्थितों ने इस पहल का स्वागत किया।*

*The gathering welcomed the move.*

*चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।*

*Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.*

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in) के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) / [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com) के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in). Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) / [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com).

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated: 23.02.2016

**//अनुप्रमाणित Attested//**

s/d

(आर. लता R. LATHA)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

Chief Commissioner of Customs, Kerala Zone, Cochin.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members